न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14— फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
वासविट्टी मालिक (देव नारायण शर्मा)

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला— सहरसा,
केस का प्रकार—

केस संख्या— **417/2020—21**,
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं वासविट्टी के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	—: आदेश :— प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक— 49/म0नि0 एवं दिनांक—13.01.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या— 639/2019, में जप्त देशी शराब के विनष्टीकरण एवं वासविट्टी के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान—सिरादेयपट्टी वार्ड नं0 07, थाना—सदर, घटना की तिथि—30.12.2019 के साथ वर्णित है कि— "गुप्त सूचना के आधार पर उपरोक्त स्थान एवं तिथि को ली गई तलाशी में अभियुक्त के घर के पिछे बासविट्टी से 500 एम0एल0 का 10 पीस पाउच अर्थात् 05 लीटर चुलाई शराब बरामद हुआ। माननीय न्यायालय के अनुमति आदेश से 500 एम0एल0 के 02 पीस अर्थात् 01 लीटर की जाँच की गई है। जाँच प्रतिवेदन संलग्न है। अतः शेष बचे 04 ली0 चुलाई देशी शराब का विनष्टीकरण हेतु अग्रतर आदेश देने की कृपा की जाए।" उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त वासविट्टी के अधिहरण के बिन्दु पर प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। प्रतिवादी नोटिस प्राप्त कर भी निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुए जिस कारण उनके मंतव्य से अवगत नहीं हुआ जा सका। राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि वांसविट्टी का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त वांसविट्टी को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने के कारण उनके अनुपस्थिति	

6

	में राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना। चूँकि उक्त अधिहरण वाद में जप्त परिसर के संबंध में दी गई विवरणी अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। उक्त अधिहरण प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। जप्त परिसर में बहुत ही कम मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है। अतः विपक्षी को कड़ी चेतावनी देते हुए इस अधिहरण वाद को अस्वीकृत कर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं शुद्धिकृत** 8.1.21 समाहर्त्ता सहरसा। 8.1.21 समाहर्त्ता सहरसा।	

ज्ञापांक 18 / न्याया०, सहरसा, दिनांक 08.01.21

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

8.01.21
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
08/01/21